अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 07/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 80(अ).—अभिहित प्राधिकारी, चीन जनवादी गणराज्य, वियतनाम और कोरिया गणराज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत देश कहा गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की पहली अनुसूची शीर्ष 7210, 7212, 7225 और 7226 के अंतर्गत "एल्युमिनियम और जिंक के मिश्रण के साथ प्लैटिड या लेपित स्टील के फ्लैट रॉल्ड उत्पाद' (जिसे इसमें इसके पश्चात् विषयगत माल कहा गया है) के आयात के मामले में जो आता है, अधिसूचना सं. 6/4/2019-डीजीटीआर तारीख 21 फरवरी, 2020 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1 तारीख 21 फरवरी, 2020 में प्रकाशित की गई थी, ने अपने अंतिम निष्कर्ष में विषयगत देश से मूलत: उत्पादित या निर्यातित विषयगत माल के आयात पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क को अधिरोपित करने की सिफारिश की थी;

और केन्द्रीय सरकार ने, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 16/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) तारीख 23 जून, 2020 द्वारा विषयगत माल पर परिभाषित प्रतिपाटित शुल्क अधिरोपित किया था जो संख्यांक सा.का.नि. 397(अ) तारीख 23 जून, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ (सहायकी, वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और नियम 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, और पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा जो 2 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा, अर्थात्:--

"परंतु उक्त प्रतिपाटित शुल्क 2 फरवरी, 2021 से प्रारंभ होने वाली अवधि से 30 सितंबर, 2021 तक उदगृहीत नहीं किया जाएगा।"

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 16/2020-सीमाशुल्क (एडीडी) तारीख 23 जून, 2020 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 397(अ) तारीख 23 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 07/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 80(E).—Whereas, in the matter of import of 'Flat rolled product of steel, plated or coated with alloy of Aluminium and Zinc' (hereinafter referred to as the subject goods), falling under headings 7210, 7212, 7225 and 7226 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) originating in or exported from People's Republic of China, Vietnam and Republic of Korea (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 6/4/2019 DGTR, dated the 21st February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 21st February, 2020, had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in or exported from subject countries;

And whereas, on the basis of aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed definitive anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 16/2020 Customs (ADD), dated the 23rd June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G. S. R. 397 (E), dated the 23rd June, 2020 (hereinafter referred to as the said notification);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, after the first proviso, the following proviso shall be inserted with effect from the 2nd day of February, 2021, namely :-

"Provided further that the said anti-dumping duty shall not be levied for the period commencing from the 2nd day of February, 2021 to the 30th day of September, 2021.".

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 16/2020-Customs (ADD), dated the 23rd June, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 397(E), dated the 23rd June, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सं. 01/2021-सीमाशुल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 81(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2020-सीमाशुल्क (सीवीडी), तारीख 9 अक्तूबर, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 623(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का विखंडन करती है ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/2/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

No. 01/2021-Customs (CVD)

G.S.R. 81(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 02/2020-Customs (CVD), dated the 9th October, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G. S. R. 623 (E), dated the 9th October, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notifications shall come into force on the 2nd February, 2021.

[F. No. 334/2/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.